

प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दांतारामगढ़  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान सामी

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुगनपुरा व मू.अ.नि. खुड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार, दांतारामगढ़ की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान पू. राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 139 के अनुसरण में ग्राम सामी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 168 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
↓	सामी	168	सुगन लाल पुत्र लादूराम	सुगनलाल उर्फ सोहनलाल पुत्र लादूराम

नोट: अन्य किसी भी न्यायालय का स्वयं  
आदेश ना होने की स्थिति में  
अमल-दरामद करे।

प्रतिभा वर्मा I.A.S.  
(सुश्री उपविद्या एवं अधिष्ठात्री  
पीठासीन अधिकारी (सीकर))

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, दांतारामगढ़  
दिनांक:- 06/05/2023

क्रमांक:- कैम्प-2023/31

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाएं।
2. प्रार्थी श्री \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रतिभा वर्मा I.A.S.  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, दांतारामगढ़